



उत्तराखण्ड शासन

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohd@gmail.com

पत्रांक- 924 /12-1, हल्द्वानी दिनांक- 14 /10 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

**विषय:-** जनपद चम्पावत में हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी तल से 384.69 है० वन क्षेत्र में उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ :-** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 960/FP/UK/MIN/154581/2021 देहरादून, दिनांक- 07.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या-ii-d के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, खनन उत्तराखण्ड विकास निगम द्वारा अपने पत्रांक-609/वन स्वीकृती नवीनीकरण/दिनांक-13 अक्टूबर 2022 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून को उपलब्ध करायी जा रही है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



कार्यालय - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम

माँ पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर, जिला- चम्पावत

e-mail :- dfdmkhanansharda@yahoo.in, दूरभाष :-05943-266130, fax - 05943-265283

पत्रांक 609 / वन स्वीकृति नवीनीकरण /

दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षक,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषय:-

जनपद-चम्पावत में हल्द्वानी वन प्रभाग के अर्न्तगत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी तल से 384.69 हैक्टे0 वन क्षेत्र में उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपकी पत्र संख्या 960/FP/UK/MIN/154581/2021/ देहरादून, दिनांक 07.10.2022


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2022 के बिन्दु संख्या ii-d के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

भवदीय,

  
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन  
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
टनकपुर (चम्पावत)